

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 38/16-17

अपर सगाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री गति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जगाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जगाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री श्री. राजेन्द्र १० वास्या वा अंचल निरीक्षक श्री लारुप्रसाद दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बुरुआ थाना नं० 692 गैरमजरुआ खाता नं० १५/११/१ दाग नं० ३२ रकवा ००-००-१५ किस्म पत्ती करीम श्री पदारथ रविदास पिता श्री. गोपी रविदास साकिन बुरुआ के नाम से पंजी 2 में नया जगाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री पदारथ रविदास को दिनांक २१.५.१६ समय ११:०० पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

अंचल अधिकारी,

महागामा।

अभिलेख उपस्थापित। पदारथ रविदास उपस्थित। उन्होने उक्त पत्र संबंधित दस्तावेज समर्पित किया है। पोस्टासीय पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक ५।६।१६ को ररें।

३० ३१

08/16

अभिलेख उपस्थापित। पदाथ रविदास उपस्थापित। जेठसीन
पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 11/8/16
को रखा।

11/8/16
अ. अ.

11/8/16

अभिलेख उपस्थापित

दिलीप कुमारे रविदास 510 पदाथ रविदास
उपस्थापित भूमि प्राप्ति संबंधी कागजात दाखिल
किया गया है। अभिलेख दिनांक 26.8.16 को रखा।

11/8/16


11/8/2016
11/8/2016

25/8/18

अभिलेख उपस्थापित।

धुनः नोटिस निर्गत करें।

अध्यक्ष अधिकारी
महागामा।


अध्यक्ष

अभिलेख उपस्थापित।
कोविड-19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया
गया है। कार्यवाहक सहायक को निर्देश दिया
जता है कि दिनांक 27.08.2021 को 11:00
बजे पूर्वाह्न में अधोस्तुष्टी के न्यायस्थल में
भूमि से संबंधित कागजात के साथ उपस्थापित
होने हेतु नोटिस निर्गत करें।


11/8/2021
अध्यक्ष अधिकारी
महागामा।

27/8/21

अभिलेख उपस्थापित /

हाजरी पट्टी / भूमि से संबंधित कोर्ट
पत्र देकर बताया गया है कि धारिणीय कृषक कोर्ट
संबंधित कृषि 01 से पत्र में निरूपित किया गया है

अभिलेख दिनांक 27/8/21 को
रखें।



27/8/2021
अंचल अधिकारी
महागामा


31.08.2021

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक - सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा
से प्रश्नगत भूमि का अन्याय प्रविष्टि प्राप्त हुआ है, जिसका
अवलोकन किया। प्रविष्टिनुसार अवैध / संदेहास्पद
पंजी II रैयत को भूमि मौजा - बलुआ थाना नं - 692
के ग्रामजदुआ खाता नं - 24 के अंडर टाग नं - 32
का अंश रकवा 00-00-14 धूर जमीन अंचल
अधिकारी, महागामा के टाखिल खारिज वाद नं -
40/2007-08 के द्वारा पदारथ रविदास पिता - गोपी
रविदास को प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि
पर पदारथ रविदास के वंशजों का दखल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख
की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

31/8/21
अंचल अधिकारी,
महागामा


31/8/21
अंचल अधिकारी,
महागामा